

प्रथम सूचना रिपोर्ट
(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला- सवाईमाधोपुर, थाना- प्रधान आरक्षी केंद्र, भ्र0 नि0 ब्यू0 जयपुर, वर्ष-2022
प्र0सू0रि0 सं. 53/22 दिनांक 18/2/22
2. (I) अधिनियम:-धारा 7, 7ए, 8 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 एवं 120बी
भा.दं.सं.
(II) अधिनियम धारायें
(III) अधिनियम धारायें
- (IV) अन्य अधिनियम एवं धारायें भा0दं0सं0.....
3. रोजनामचा आम रपट संख्या 291 समय 5:40 P.M.
(ब) अपराध घटने का दिन-गुरुवार दिनांक 17.02.2022 समय 11.30 एएम
(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक
4. सूचना की किस्म :- लिखित / मौखिक- सूत्र सूचना
5. घटनास्थल:-फ्लेट नं. 202, ऑर्चिड रेजिडेन्सी, मोती डूंगरी अलवर
(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी:- बजानिब उतर दिशा 215 किलोमीटर
(ब) बीट संख्या.....जयरामदेही सं.....
(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
पुलिस थानाजिला
6. (प)परिवादी /सूचनाकर्ता :-
(अ) नाम-श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा
(ब) पिता/पति का नाम-
(स) जन्म तिथी-
(द) राष्ट्रीयता - भारतीय
(य) पासपोर्ट संख्याजारी होने की तिथि
जारी होने की जगह
- (र) व्यवसाय-अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्र0नि0ब्यूरो, सवाई माधोपुर ।
(ल) पता-
7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित : -
1-श्री नरेन्द्र मीना पुत्र स्व. श्री प्रहलाद सिंह, जाति मीना, उम्र 48 निवासी फ्लेट नं. 202, ऑर्चिड रेजिडेन्सी, मोती डूंगरी अलवर, हाल वार्ड पार्शद वार्ड नं. 30 नगर परिषद अलवर, जिला अलवर
2-श्री रमेश गुप्ता पुत्र स्व. श्री शिवदयाल गुप्ता जाति महाजन, उम्र 50 वर्ष, निवासी मोहल्ला अखेपुरा, पुलिस थाना कोतवाली, हाल ठेकेदार नगर परिषद अलवर, जिला अलवर
3-श्री संजीव भार्गव उर्फ छोटू पुत्र स्व. श्री भागीरथ भार्गव जाति ब्राह्मण, उम्र 53 वर्ष, निवासी मकान नं. 88, आर्य नगर, अलवर, हाल ठेकेदार नगर परिषद अलवर, जिला अलवर
8. परिवादी / सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण :-.....
9. चुराई हुई / लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें)....
10. चुराई हुई / लिप्त सम्पत्ति का कुल मुल्य-5,15,000/- रूपये
11. पंचनामा / यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो)
12. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षितहो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें):-

दिनांक 17-02-2022 को मन सुरेन्द्र कुमार शर्मा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्र0नि0ब्यूरो, सवाई माधोपुर द्वारा श्रीमान् महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान जयपुर के निर्देशानुसार मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुरेन्द्र कुमार शर्मा को सूत्र सूचना पर कार्यवाही करने के संबंध में निर्देश मिले। इस सम्बन्ध में श्री राजेश दुरेजा पुलिस उप अधीक्षक तकनीकी शाखा जयपुर की सूत्र सूचना दिनांक 16.02.2022 मय पुष्ठाकंन श्रीमान महानिदेशक महोदय इस आशय की प्राप्त हुई है कि नगर परिषद अलवर में पदस्थापित इंजिनियर श्री दिनेश, श्री नरेन्द्र मीना पार्शद, श्री मुकेश चैयरमैन द्वारा ठेकेदार रमेश गुप्ता तथा श्री संजीव भार्गव तथा अन्य ठेकेदारों के पक्ष में टैण्डर निकलवाने के नाम पर स्वयं के लिये तथा लोक-सेवकों के लिये रिश्वत राशि की मांग की जा रही है। उक्त सूचना का गोपनीय सत्यापन किया गया, जिसकी तकनीकी विश्लेषण से पुष्टि होने पर संबंधित संदिग्ध व्यक्तियों के मोबाईल नम्बर सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के उपरान्त अन्तावरोध पर लिये गये तथा गोपनीय रूप से सत्यापन भी किया गया तो सूत्र सूचना के तथ्यों की पुष्टि हुई। इसी